

फर्द अहकाम

बनाम

जिससु

वर्गीत

111/2024

लय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

22/5/2024

वकील प्राप्ती ने प्राठपत्र अन्तर्गत  
 द्वारा 111/128 का केस सिपाय रिपोर्ट  
 सखिजा मुतब हो करी है  
 पञ्जवली एवं रजिस्टर वेतलकी प्रमाणिक  
 को जारी रखि नोखि जारी होकर  
 दि 0 24/5/2024 को फेरि हो

उप खण्ड अधिकारी  
 जयपुर (द्वितीय)

कोर्ट कारी  
 2823-27  
 24/5/24

24/5/24

पञ्जवली फेरि हुई। वकील प्राप्ती उपर  
 अपुर्वागत की ओर से की हिमायत करीकर  
 एडव मे वकालतकाथ फेरि किया आ. कि. ही  
 अपुर्वागत वकील का कथन है कि खीगवाठ  
 रिपोर्ट के अनुसार पञ्जवली की जाती है  
 तो कोर आपति नहीं है वकील उक्त  
 की कस सुनी गयी। प्राप्ती का प्राठपत्र  
 अन्तर्गत 111, 128 प्राथ 1958 को स्वीकार  
 किया जा रहा है सिद्धत कि 24 फरवरी  
 कि 2024 को सुनी गयी। पञ्जवली नोखि  
 से कर वेक का ड वकील नोखि 444  
 है। सुनी गयी

उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सिंगानेर)

सिमासान रिपोर्ट अनुसार  
 पञ्जवली को प्राप्ती है जो  
 कोर अपात नहीं है।

24/5/24



Enter